सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 177 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :—18.08.2023

GCMS ID—2023 / 402

1. बबलू आ0 मुलचन्द कुमावत जाति कुमावत निवासी कालाभाटा अलोद तहसील हिण्डोली।
2. धापूबाई वर्ष पुत्री मूलचन्द पत्नी घनश्याम जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली।
3. पार्वती पुत्री मुलचन्द कुमावत पत्नी हेमराज निवासी कुमावतों की झोपडिया जाति कुमावत तहसील हिण्डोली।
4. शान्ति बाई पुत्री मुलचन्द कुमावत जाति कुमावत निवासी कालाभाटा अलोद तहसील हिण्डोली।
5. मनभर पुत्री मुलचन्द कुमावत जाति कुमावत निवासी कालाभाटा अलोद तहसील हिण्डोली।
6. मडीबाई पुत्री मुलचन्द कुमावत पत्नी हेमराज जाति कुमावत निवासी खटावडा तहसील हिण्डोली।
7. काली पुत्री मुलचन्द कुमावत पत्नी मोहन जाति कुमावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली।
8. छोटी पुत्री मुलचन्द कुमावत पत्नी पांचूराम जाति कुमावत निवासी सांवर जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार।

दिनांक :— 27 / 03 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 46 खसरा संख्या 444 रकबा 0.5747 हैक्टेयर, खसरा संख्या 445 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 446 रकबा 0.6151 हैक्टेयर, खसरा संख्या 446 / 1050 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 448 रकबा 0.6880 हैक्टेयर, खसरा संख्या 449 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा संख्या 450 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, खसरा संख्या 451 रकबा 0.6637 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 457 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 458 रकबा 0.3966 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 4.9777 हैक्टेयर वाके ग्राम बीचडी पटवार मण्डल चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थीगण के पिता मुलचन्द आ0 अणदीलाल की सहखातेदारी में दर्ज है। भूमि खाता संख्या 91 खसरा संख्या 443 रकबा 0.5261 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.5261 हैक्टेयर वाके ग्राम बीचडी पटवार

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

मण्डल चेंता में विरिथत है, जो प्रार्थीगण के पिता मुलचन्द आ0 अणदीलाल की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की पिता का नाम मुलचन्द आ0 अणदीलाल ही था, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण के दादाजी के मृत्यु के बाद फोती नामान्तकरण खोलते समय राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता मूलचन्द आ0 अणदीलाल के स्थान पर सहवनवश मुल्या पुत्र अमरा व मुल्या आ0 अणदा का इन्द्राज कर दिया, उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थीगण के पिता के सभी सरकारी दस्तावेजात राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता का नाम मुलचन्द आ0 अणदीलाल ही दर्ज है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमियॉ प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों में प्रार्थीगण के दादा की मृत्यु के उपरान्त हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के पिता के इन्द्राज में मुल्या आ0 अमरा व मुल्या आ0 अणदा के नाम से इन्तकाल खोल दिया गया है जो अवैध व निरस्तनीय योग्य है, जबकि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम मुलचन्द आ0 अणदीलाल है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गए इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या संख्या 1 व 2 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मुल्या आ0 अमरा व मुल्या आ0 अणदा के स्थान पर मुलचन्द आ0 अणदीलाल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थीगण की पिता का देहान्त दिनांक 15.05.2021 को चुका है, तथा प्रार्थीगण की मां मन्नी बाई की भी मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा अपने नाम फोती नामान्तकरण खुलवाने हेतु हल्का पटवारी चेंता के पास गये तब हल्का पटवारी द्वारा उक्त गलत इन्द्राज होने की बात कहने पर प्रार्थीगण को जानकारी हुई एवं हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त इन्द्राज को सही होने पर ही आपके नाम फोती नामान्तकरण खोला जा सकता है, तब प्रार्थीगण उक्त इन्द्राज को सही करवाने हेतु तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 25.07.2023 को इन्कार कर दिया, यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों में प्रार्थीगण के पिता का नाम उक्त भूमियों का फोती नामन्तकरण नहीं खुल पा रहा है, जिस कारण प्रार्थीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं से वंचित हो रहे है, ऐसी स्थिति में उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर उक्त स्थान पर मुलचन्द आ0 अणदीलाल दर्ज किया जाना आवश्यक है, जिससे कि प्रार्थीगण अपने पिता की उक्त भूमियों को अपने नाम फोती नामान्तकरण खुलवा सके एवं सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम मुल्या आ0 अमरा व मुल्या आ0 अणदा के

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर मुलचन्द आ0 अणदीलाल दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम मुलचन्द आ0 अणदीलाल दर्ज करवावे। भूमिया ग्राम बिचडी पटवार मण्डल चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एंव तलबाने पर प्रस्तुत है। अत श्रीमान से प्रार्थना है कि खाता संख्या 46 खसरा संख्या 444 रकबा 0.5747 हैक्टेयर, खसरा संख्या 445 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 446 रकबा 0.6151 हैक्टेयर, खसरा संख्या 446/1050 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 448 रकबा 0.6880 हैक्टेयर, खसरा संख्या 449 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा संख्या 450 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, खसरा संख्या 451 रकबा 0.6637 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452 रकबा 0. 3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 457 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 458 रकबा 0.3966 हैक्टेयर कुल किता 11 कुंल रकबा 4.9777 हैक्टेयर व खाता संख्या 91 खसरा संख्या 443 रकबा 0.5261 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.5261 हैक्टेयर वाके ग्राम बीचडी पटवार मण्डल चेंता के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम मुल्या आ0 अमरा व मुल्या आ0 अणदा के इन्द्राज को दुरूस्त कर मुलचन्द आ0 अणदीलाल दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व/25/301 दिनांक :–19.03.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम बींचडी के भूमि खाता संख्या 91 में प्रार्थीगण के पिता का नाम मूल्या पिता अणदा दर्ज है व खाता संख्या 46 में प्रार्थीण के पिता का नाम मूल्या पिता अमरा दर्ज है, को शुद्ध करवाकर मूलचन्द आ0 अणदीलाल करवाना चाहते है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा उक्त खाता नम्बरान में दर्ज सहखातेदार मूल्या पिता अणदा व मूल्या आ0 अमरा एक ही व्यक्ति के नाम है। जिनको मूल्या पिता अणदा व मूल्या आ अमरा के स्थान पर मूलचन्द आ0 अणदीलाल दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम मूलचन्द आ0 अणदीलाल है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थाई लेखा संख्या कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, पेश किए है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम मूलचन्द दर्ज है व मृत्यु प्रमाण पत्र व परिवार राशन कार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम मूलचन्द आ0 अणदीलाल दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम बींचडी पटवार मण्डल चेंता के खाता संख्या 46 में दर्ज सहखातेदार मुल्या पिता अमरा के स्थान पर मूलचन्द पुत्र अणदीलाल व खाता संख्या 91 में दर्ज मुल्या पुत्र अणदा के स्थान पर मूलचन्द पुत्र अणदीलाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 27.03.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

27/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446